

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग-3

अधिसूचना

21 अगस्त, 2025 ई0

संख्या-539/XVIII(3)/2025-3(17)/2016-राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित ग्राम, सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रहेंगे:-

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	गांव का नाम
1	2	3	4
नैनीताल	हल्द्वानी	भावर छ: खाता	जवाहर ज्योति दमुवाढूंगा

आज्ञा से,

डॉ० सुरेन्द्र नारायण पाण्डे,
सचिव, राजस्व।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 539/XVIII(3)/2025-3(17)/2016, dated August 21, 2025 for general Information.

NOTIFICATION

August 21, 2025

No. 539/XVIII(3)/2025-3(17)/2016--In exercise of the powers under section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act. No. 3 of 1901), (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to declare that with effect from the date of publication of the notification in the official gazette the village mentioned in the Schedule below shall be under Survey and Record Operation.

Schedule

District	Tehsil	Pargana	Name of Village
1	2	3	4
Nainital	Haldwani	Bhavar Che: Khata	Jawahar Jyoti Damuwadhunga

By Order,

Dr. SURENDRA NARAYAN PANDEY,
Secretary, Revenue.

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 30-08-2025, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 33 राजस्व/410-23-09-2025-25 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।